बैठक : राजभाषा विभाग, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राजभाषा के विभिन्न प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन हेतु केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय/संगठनों/उपक्रमों आदि में नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन अपेक्षित है । तदनुसार सुचारु रूप से राजभाषा कार्यान्वयन हेतु संस्थान में विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित समितियों को आवधिक बैठकों का आयोजन एवं अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है :-

(ख) केन्द्रीय कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति : यह संस्थान केन्द्रीय रेशम बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का सक्रिय सदस्य है । संस्थान द्वारा केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित बैठकें में भागीदारी सुनिश्चित करते हुए लिये गये निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है । बैठक में संस्थान के द्वारा किए जा रहे राजभाषा कार्यों की समीक्षा केन्द्रीय कार्यालय द्वारा प्रत्येक तिमाही में की जाती है ।

(ग) सम्बद्ध/अधीनस्थ केन्द्रों की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति : संस्थान के नियंत्रणाधीन कुल 12 कार्यालयों को मिलाकर अधीनस्थ कार्यालयों की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है । अभी तक उक्त समिति की 65 बैठकें आयोजित की चुकी हैं । उक्त समिति के बैठक की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक करते हैं । कार्यालयों/केन्द्रों के प्रधान/प्रभारी इस समिति के सदस्य होते हैं । बैठक में संस्थान के द्वारा सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में हो रहे राजभाषा कार्यों की समीक्षा कर समुचित निर्देश दिये जाते हैं ।

(घ) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति : राँची स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सभी बैठकें में संस्थान अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता आ रहा है । नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों यथा-हिन्दी प्रतियोगिता/सेमिनार/संगोष्ठी/अनुवाद प्रशिक्षण आदि का आयोजन करने के अलावा बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है ।